

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

नगर आयुक्त,

नगर निगम- पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, कटिहार, बेगुसराय, मुंगेर एवं पूर्णियाँ।

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर परिषद- बाढ़, फतुहा, खगौल, दानापुर, मोकामा, मसौढ़ी, बख्तियारपुर, डुमरांव, सासाराम, डेहरी डालमियानगर, विक्रमगंज, दाउदनगर, जहानाबाद, नवादा, सीतामढ़ी, बांका, हाजीपुर, महनार, बेतिया, नरकटियागंज, समस्तीपुर, सुल्तानगंज, जमुई एवं गोपालगंज।

कार्यपालक पदाधिकारी,

नगर पंचायत- मनेर, नौबतपुर, मोहनियां, पीरो, कोईलवर, कोआथ, नोखा, कोचस, शेरघाटी, टेकारी, नवीनगर, बेलसंड, मोतीपुर, लालगंज, महुआ, शिवहर, अरेराज, पकड़ीदयाल, चनपटिया, झंझारपुर, रोसड़ा, हवेली खड़गपुर, झांझा, गोगरी जमालपुर, तेघड़ा, दिघवारा, परसा बाजार, कटैया, कसवा, बनमंखी एवं जोगवनी।

पटना, दिनांक 22.04.19

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए राज्य योजनान्तर्गत “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद अंतर्गत संलग्न सूची के स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र का आवंटन।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए राज्य योजनान्तर्गत “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद अंतर्गत संलग्न सूची के स्तम्भ- 04 के अनुरूप विभागीय राज्यादेश सं०-131 दिनांक-22.04.19 के आलोक में कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र आवंटित की जाती है।

अर्थात् कुल आवंटित राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र।

2. उक्त आवंटित ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद एवं नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. उक्त आवंटित राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) आवंटित कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 1 पर अंकित पटना नगर निगम, पटना के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित कुल ₹2000.00 लाख (बीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0115-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217011910115**, विषय शीर्ष- 0115.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी। उक्त राशि की निकासी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा की जायेगी।

(ख) आवंटित कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 1 पर अंकित पटना नगर निगम, पटना के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित कुल ₹2000.00 लाख (बीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217017890102**, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी। उक्त राशि की निकासी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा की जायेगी।

(ग) आवंटित कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 2 से 63 पर अंकित नगर निकायों को उनके सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित कुल ₹5380.54176 लाख (तिरपन करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार एक सौ छिहत्तर रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष-

03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031930103**, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(घ) आवंटित कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 2 से 63 पर अंकित नगर निकायों को उनके सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित कुल ₹7734.52947 लाख (सतहत्तर करोड़ चौतीस लाख बावन हजार नौ सौ सैंतालीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217037890102**, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ङ) आवंटित कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 2 से 63 पर अंकित सभी नगर निकायों के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित कुल ₹336.28385 लाख (तीन करोड़ छत्तीस लाख अठाईस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 796-जन-जातिय क्षेत्रीय उप-योजना, उपशीर्ष-0101-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217037960101**, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

6. आवंटित राशि से योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 1288, दिनांक- 25.02.2016, विभागीय पत्रांक- 2090, दिनांक- 21.03.2016 एवं पत्रांक- 4548, दिनांक- 16.07.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि आवंटित की जाती है:-

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

lt

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण—लागत तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

8. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।


9. आवंटित राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि (2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।

11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. इसकी सूचना महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।


अनु०-यथोक्त।

बिहार राज्यपाल के आदेश से,
 22.02-19

सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2014 89 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-23.2.19

प्रतिलिपि:— महालेखाकार, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/मुख्य/अधीक्षण अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई0 मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

 22.02-19
सरकार के विशेष सचिव।


बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों को आवंटित राशि की विवरणी :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	कुल आवंटित राशि	विपत्र कोड, जिससे राशि की निकासी की जानी है।			कुल निकासी की जाने वाली राशि (5+6+7)
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
				48-221701910115	48-2217017890102	48-2217037960101	
1	पटना	पटना नगर निगम	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	400000000.00
		कुल (क)	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	400000000.00
				48-2217031930103	48-2217037890102	48-2217037960101	
2	भागलपुर	भागलपुर नगर निगम	110,741,095.00	44,296,438.00	63,676,130.00	2,768,527.00	110,741,095.00
3	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम	98,097,970.00	39,239,188.00	56,406,333.00	2,452,449.00	98,097,970.00
4	दरभंगा	दरभंगा नगर निगम	81,929,304.00	32,771,721.00	47,109,350.00	2,048,233.00	81,929,304.00
5	कटिहार	कटिहार नगर निगम	66,652,333.00	26,660,933.00	38,325,092.00	1,666,308.00	66,652,333.00
6	बेगुसराय	बेगुसराय नगर निगम	69,743,649.00	27,897,459.00	40,102,599.00	1,743,591.00	69,743,649.00
7	मुंगेर	मुंगेर नगर निगम, मुंगेर	59,031,974.00	23,612,789.00	33,943,386.00	1,475,799.00	59,031,974.00
8	पुर्णियाँ	पुर्णियाँ नगर निगम	78,112,622.00	31,245,048.00	44,914,758.00	1,952,816.00	78,112,622.00
9	पटना	नगर परिषद, बाढ़	17,011,930.00	6,804,772.00	9,781,860.00	425,298.00	17,011,930.00
10		नगर परिषद, फतुहा	14,103,547.00	5,641,418.00	8,109,540.00	352,589.00	14,103,547.00
11		नगर परिषद, खगौल	12,277,815.00	4,911,126.00	7,059,744.00	306,945.00	12,277,815.00
12		नगर परिषद, दानापुर	50,487,542.00	20,195,016.00	29,030,337.00	1,262,189.00	50,487,542.00
13		नगर परिषद, मोकामा	16,792,742.00	6,717,096.00	9,655,827.00	419,819.00	16,792,742.00
14		नगर परिषद, मसौढ़ी	16,550,585.00	6,620,234.00	9,516,587.00	413,764.00	16,550,585.00
15		नगर परिषद, बख्तियारपुर	13,255,579.00	5,302,231.00	7,621,958.00	331,390.00	13,255,579.00
16	बक्सर	नगर परिषद, डुमरांव	14,838,876.00	5,935,550.00	8,532,354.00	370,972.00	14,838,876.00
17	रोहतास	नगर परिषद, सासाराम	40,795,419.00	16,318,167.00	23,457,366.00	1,019,886.00	40,795,419.00
18		नगर परिषद, डेहरीखालमिया	37,978,917.00	15,191,566.00	21,837,878.00	949,473.00	37,978,917.00
19		नगर परिषद, विक्रमगंज	13,412,774.00	5,365,109.00	7,712,346.00	335,319.00	13,412,774.00
20	औरंगाबाद	नगर परिषद, दाउदनगर	14,491,829.00	5,796,731.00	8,332,802.00	362,296.00	14,491,829.00
21	जहानाबाद	नगर परिषद, जहानाबाद	28,561,332.00	11,424,532.00	16,422,766.00	714,034.00	28,561,332.00
22	नवादा	नगर परिषद, नवादा	27,129,696.00	10,851,878.00	15,599,576.00	678,242.00	27,129,696.00
23	सीतामढ़ी	नगर परिषद, सीतामढ़ी	18,768,749.00	7,507,499.00	10,792,031.00	469,219.00	18,768,749.00
24	बांका	नगर परिषद, बांका	12,724,215.00	5,089,686.00	7,316,424.00	318,105.00	12,724,215.00
25	वैशाली	नगर परिषद, हाजीपुर	40,872,910.00	16,349,164.00	23,501,924.00	1,021,822.00	40,872,910.00
26		नगर परिषद, महनार	13,365,173.00	5,346,069.00	7,684,975.00	334,129.00	13,365,173.00
27	प० चम्पारण	नगर परिषद, बेतिया	36,589,071.00	14,635,628.00	21,038,716.00	914,727.00	36,589,071.00
28		नगर परिषद, नरकटियागंज	13,701,149.00	5,480,459.00	7,878,161.00	342,529.00	13,701,149.00
29	समस्तीपुर	नगर परिषद, समस्तीपुर	18,798,362.00	7,519,344.00	10,809,059.00	469,959.00	18,798,362.00
30	भागलपुर	नगर परिषद, सुल्तानगंज	14,637,954.00	5,855,181.00	8,416,824.00	365,949.00	14,637,954.00
31	जमुई	नगर परिषद, जमुई	24,176,202.00	9,670,480.00	13,901,317.00	604,405.00	24,176,202.00
32	गोपालगंज	नगर परिषद, गोपालगंज	18,636,185.00	7,454,474.00	10,715,807.00	465,904.00	18,636,185.00
33	पटना	नगर पंचायत, मनेर	11,088,889.00	4,435,555.00	6,376,112.00	277,222.00	11,088,889.00
34		नगर पंचायत, नौबतपुर	6,921,838.00	2,768,735.00	3,980,057.00	173,046.00	6,921,838.00
35	कैमूर	नगर पंचायत, मोहनिया	4,480,612.00	1,792,244.00	2,576,352.00	112,016.00	4,480,612.00
36	भोजपुर	नगर पंचायत, पीरो	9,350,058.00	3,740,023.00	5,376,284.00	233,751.00	9,350,058.00
37		नगर पंचायत, कोईलवर	4,905,425.00	1,962,170.00	2,820,620.00	122,635.00	4,905,425.00
38	रोहतास	नगर पंचायत, कोआथ	5,227,841.00	2,091,136.00	3,006,009.00	130,696.00	5,227,841.00
39		नगर पंचायत, नोखा	7,555,877.00	3,022,350.00	4,344,630.00	188,897.00	7,555,877.00
40		नगर पंचायत, कोचस	4,548,416.00	1,819,366.00	2,615,340.00	113,710.00	4,548,416.00
41	गया	नगर पंचायत, शेरघाटी	11,254,386.00	4,501,754.00	6,471,272.00	281,360.00	11,254,386.00
42		नगर पंचायत, टेकारी	5,901,455.00	2,360,582.00	3,393,337.00	147,536.00	5,901,455.00
43	औरंगाबाद	नगर पंचायत, नवीननगर	6,637,614.00	2,655,045.00	3,816,629.00	165,940.00	6,637,614.00
44	सीतामढ़ी	नगर पंचायत, बेलसंड	5,691,678.00	2,276,671.00	3,272,715.00	142,292.00	5,691,678.00
45	मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, मोतीपुर	7,907,352.00	3,162,940.00	4,546,728.00	197,684.00	7,907,352.00
46	वैशाली	नगर पंचायत, लालगंज	10,266,937.00	4,106,774.00	5,903,489.00	256,674.00	10,266,937.00
47		नगर पंचायत, महुआ	2,987,537.00	1,195,014.00	1,717,834.00	74,689.00	2,987,537.00
48	शिवहर	नगर पंचायत, शिवहर	7,781,154.00	3,112,461.00	4,474,164.00	194,529.00	7,781,154.00

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	कुल आवंटित राशि	विपत्र कोड, जिससे राशि की निकासी की जानी है।			कुल निकासी की जाने वाली राशि (5+6+7)
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	पू० चम्पारण	नगर पंचायत, अरराज	7,199,421.00	2,879,768.00	4,139,668.00	179,985.00	7,199,421.00
50		नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	8,186,871.00	3,274,748.00	4,707,451.00	204,672.00	8,186,871.00
51	पं० चम्पारण	नगर पंचायत, चनपटिया	7,498,590.00	2,999,436.00	4,311,690.00	187,464.00	7,498,590.00
52	मधुबनी	नगर पंचायत, झंझारपुर	8,465,836.00	3,386,334.00	4,867,856.00	211,646.00	8,465,836.00
53	समस्तीपुर	नगर पंचायत, रोसड़ा	8,622,202.00	3,448,880.00	4,957,767.00	215,555.00	8,622,202.00
54	मुंगेर	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर	8,685,854.00	3,474,341.00	4,994,367.00	217,146.00	8,685,854.00
55	जमुई	नगर पंचायत, झांझा	11,248,852.00	4,499,540.00	6,468,090.00	281,222.00	11,248,852.00
56	खगड़िया	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर	10,448,210.00	4,179,284.00	6,007,721.00	261,205.00	10,448,210.00
57	बेगूसराय	नगर पंचायत, तेघड़ा	15,562,858.00	6,225,143.00	8,948,644.00	389,071.00	15,562,858.00
58	सारण	नगर पंचायत, दिघवारा	9,061,129.00	3,624,451.00	5,210,150.00	226,528.00	9,061,129.00
59		नगर पंचायत, परसा बाजार	10,106,975.00	4,042,790.00	5,811,511.00	252,674.00	10,106,975.00
60	गोपालगंज	नगर पंचायत, कटैया	5,588,449.00	2,235,379.00	3,213,359.00	139,711.00	5,588,449.00
61	पूर्णिमा	नगर पंचायत, कसवा	8,419,066.00	3,367,626.00	4,840,963.00	210,477.00	8,419,066.00
62		नगर पंचायत, बनमंखी	8,395,541.00	3,358,216.00	4,827,437.00	209,888.00	8,395,541.00
63	अररिया	नगर पंचायत, जोगवनी	10,871,085.00	4,348,434.00	6,250,874.00	271,777.00	10,871,085.00
		कुल (ख)	1,345,135,508.00	538,054,176.00	773,452,947.00	33,628,385.00	1,345,135,508.00
		कुल योग (क+ख)	1,745,135,508.00	738,054,176.00	973,452,947.00	33,628,385.00	1,745,135,508.00


 (जय प्रकाश मंडल),
 सरकार के विशेष सचिव।

* ई-मेल
स्पीड पोस्ट/निबंधित
डाक

बिहार सरकार नगर विकास एवं आवास विभाग

प्रेषक,

जय प्रकाश मंडल,
सरकार के विशेष सचिव।

सेवा में,

महालेखाकार (ले० एवं ह०),
बिहार, पटना।

* अनौपचारिक
रूप से परामर्शित

* द्वारा-आन्तरिक वित्तीय सलाहकार

पटना, दिनांक-22.02.2018

विषय:- वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत संलग्न सूची के स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र की स्वीकृति।

आदेश:- स्वीकृत।

वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य के विभिन्न नगर निगमों, नगर परिषदों एवं नगर पंचायतों के लिए राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत संलग्न सूची के स्तम्भ- 04 के अनुरूप कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

अर्थात् कुल स्वीकृत राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र।

इसके लिए अलग से आवंटनादेश निर्गत किया जायेगा।

2. उक्त स्वीकृत ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र राशि के निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम, कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद एवं नगर पंचायत होंगे, जिनके द्वारा वित्तीय वर्ष 2018-19 में वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 2561, दिनांक- 17.04.98 एवं पत्रांक- 354, दिनांक- 28.03.2018 में निहित अनुदेशों के आलोक में संबंधित कोषागार से राशि की निकासी की जायेगी। राशि की निकासी किसी भी परिस्थिति में AC विपत्र पर नहीं की जायेगी। निकासी के उपरांत राशि का संधारण संबंधित नगर निकाय के पी०एल० खाता में किया जायेगा।

3. चूँकि यह अनुदान है, इसलिए बिहार कोषागार संहिता के नियम- 431 के आलोक में यथा B.T.C. फॉर्म सं०- 42 में राशि की निकासी की जायेगी। वित्त विभाग के परिपत्र संख्या- 1496, दिनांक- 22.02.2008 के आलोक में राशि की निकासी हेतु विपत्र तैयार कर संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया

जायेगा। राशि के भुगतान के पश्चात् विभागीय पत्रांक- 63, दिनांक- 11.01.2019 के आलोक में उपयोगिता प्रमाण-पत्र BCT- 42A फॉर्म में तैयार कर रोकड़ बही की संबंधित पृष्ठ की अभिप्रमाणित छायाप्रति के साथ निश्चित रूप से विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी।

4. वित्त विभाग के संकल्प सं०- 573, दिनांक- 16.01.1975 एवं एम 04-15/2009-9736, दिनांक- 19.10.2011 एवं बिहार कोषागार संहिता के नियम 271(ड) के अनुसार “सहायता अनुदान की राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र स्वीकृत्यादेश की तिथि से 18 माह के अंदर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) बिहार, पटना के कार्यालय को प्रेषित किया जाना है।”

5. उक्त स्वीकृत राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र की निकासी निम्नवत् की जायेगी :-

(क) स्वीकृत कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 1 पर अंकित पटना नगर निगम, पटना के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित कुल ₹2000.00 लाख (बीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 191-नगर निगम को सहायता, उपशीर्ष- 0115-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217011910115, विषय शीर्ष- 0115.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी। उक्त राशि की निकासी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा की जायेगी।

(ख) स्वीकृत कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 1 पर अंकित पटना नगर निगम, पटना के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित कुल ₹2000.00 लाख (बीस करोड़ रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 01-राज्य की राजधानी का विकास, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष-0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- 48-2217017890102, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी। उक्त राशि की निकासी नगर आयुक्त, पटना नगर निगम, पटना द्वारा की जायेगी।

(ग) स्वीकृत कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 2 से 63 पर अंकित नगर निकायों को उनके सम्मुख स्तम्भ- 5 में अंकित कुल ₹5380.54176 लाख (तिरपन करोड़ अस्सी लाख चौवन हजार एक सौ छिहत्तर रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 193-नगर पंचायतों-अधिसूचित क्षेत्र की समितियों या उनके समतुल्य को सहायता, उपशीर्ष- 0103-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों



को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217031930103**, विषय शीर्ष- 0103.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(घ) स्वीकृत कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 2 से 63 पर अंकित नगर निकायों को उनके सम्मुख स्तम्भ- 6 में अंकित कुल ₹7734.52947 लाख (सतहत्तर करोड़ चौतीस लाख बावन हजार नौ सौ सैंतालीस रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 789-अनुसूचित जातियों के लिए विशेष घटक योजना, उपशीर्ष- 0102-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217037890102**, विषय शीर्ष- 0102.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

(ङ) स्वीकृत कुल राशि ₹17451.35508 लाख (एक सौ चौहत्तर करोड़ एकावन लाख पैंतीस हजार पाँच सौ आठ रु०) मात्र में से संलग्न सूची के क्रमांक- 2 से 63 पर अंकित सभी नगर निकायों के लिए उनके सम्मुख स्तम्भ- 7 में अंकित कुल ₹336.28385 लाख (तीन करोड़ छत्तीस लाख अठाईस हजार तीन सौ पचासी रु०) मात्र की निकासी मांग संख्या- 48 मुख्य शीर्ष- 2217-शहरी विकास, उपमुख्य शीर्ष- 03-छोटे तथा मध्यम श्रेणी के नगरों का समेकित विकास, लघु शीर्ष- 796-जन-जातिय क्षेत्रीय उप-योजना, उपशीर्ष-0101-परिवहन के लिए शहरी स्थानीय निकायों को सहायक अनुदान, विपत्र कोड- **48-2217037960101**, विषय शीर्ष- 0101.31.05 सहायक अनुदान परिसंपत्तियों के निर्माण से की जायेगी।

6. स्वीकृत राशि से योजनाओं का चयन एवं कार्यान्वयन “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” से संबंधित विभागीय संकल्प संख्या- 1288, दिनांक- 25.02.2016, विभागीय पत्रांक- 2090, दिनांक- 21.03.2016 एवं पत्रांक- 4548, दिनांक- 16.07.2016 में निहित अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा।

7. “मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना” मद के अन्तर्गत योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु निम्नलिखित शर्तों के अधीन राशि स्वीकृत की जाती है:-

(i) योजनाओं का कार्यान्वयन संबंधित नगर निकाय द्वारा किया जाएगा।

(ii) संबंधित जिला पदाधिकारी द्वारा योजना का अनुश्रवण/पर्यवेक्षण/निर्देश समय-समय पर किया जाएगा।

(iii) स्वीकृत निधि की अधिसीमा के अन्तर्गत ही योजनाओं के अनुरूप सक्षम स्तर से तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर कार्यान्वित करायी जायेगी। यह ध्यान में रखा जायेगा कि योजनाओं का डुप्लीकेशन न हो एवं पाँच वर्ष पूर्व से अबतक किसी भी एजेंसी से कोई कार्य नहीं कराया गया हो।

(iv) सभी योजनाओं हेतु कार्य स्थल पर एक बोर्ड प्रदर्शित रहेगा, जिस पर विभाग का नाम, योजना की प्राक्कलित राशि, योजना का विवरण-~~लागत~~ तथा पूर्ण होने की तिथि अंकित रहेगी।

५

(v) योजनाओं का कार्यान्वयन ई-टेंडरिंग के माध्यम से निविदा आमंत्रित कर कराया जाएगा।

8. योजनाओं का कार्यान्वयन विहित प्रक्रियाओं का अनुपालन करते हुए तथा समय समय पर राज्य सरकार द्वारा निर्गत अनुदेशों के आलोक में किया जायेगा। स्वीकृत राशि का व्यय उसी कार्य के विरुद्ध किया जायेगा जिसके निमित्त राशि स्वीकृत की गई है।

9. स्वीकृत राशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र विहित प्रपत्र में सरकार को उपलब्ध कराया जाय। योजनाओं के कार्यान्वयन के पश्चात् भौतिक एवं वित्तीय त्रैमासिक प्रगति प्रतिवेदन भी सरकार को अवश्य उपलब्ध कराया जाये।

10. वित्त विभाग के परिपत्र सं०- 7355 वि (2), दिनांक- 05.10.07 में निहित अनुदेश के आलोक में राशि की निकासी के लिए महालेखाकार, बिहार, पटना के प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं होगी।


11. भारतीय लेखा एवं अंकेक्षण विभाग को इससे संबंधित अभिलेखों को देखने एवं जाँच पड़ताल करने का पूर्ण अधिकार होगा।

12. आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या 2ब०/ना०नि०-02-06/2014 के पृष्ठ सं०-.....83...../टि० पर दिनांक-21/02/2019 को प्राप्त है एवं सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन पृष्ठ सं०-.....83...../टि० पर दिनांक- 21/02/2019 को प्राप्त है।

13. इसकी सूचना सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार एवं अन्य को भी दी जा रही है।

अनु०-यथोक्त।


बिहार राज्यपाल के आदेश से,



सरकार के विशेष सचिव।

ज्ञापांक-2ब०/ना०नि०-02-06/2014 131 /न०वि०एवंआ०वि०/पटना, दिनांक-22-02-19

प्रतिलिपि:- सभी प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित जिला पदाधिकारी/नगर आयुक्त, संबंधित नगर निगम/कार्यपालक पदाधिकारी, संबंधित नगर परिषद् तथा नगर पंचायत/संबंधित कोषागार पदाधिकारी, बिहार/संबंधित उप कोषागार पदाधिकारी, बिहार/मुख्य/अधीक्षण अभियंता, बुडको/योजना एवं विकास विभाग/वित्त विभाग (बजट प्रशाखा)/प्रधान सचिव, नगर विकास एवं आवास विभाग के आप्त सचिव/विभागीय मंत्री के आप्त सचिव/स्थानीय लेखा परीक्षक, पटना/विभागीय आई०टी० मैनेजर को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं संबंधित नगर निकायों को ई0 मेल करने हेतु/प्रशाखा पदाधिकारी, प्रशाखा- 02 एवं 07 नगर विकास एवं आवास विभाग/कार्यवाहक सहायक, नगर विकास एवं आवास विभाग, पटना (5 प्रतियों में) को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।



सरकार के विशेष सचिव।

बिहार सरकार
नगर विकास एवं आवास विभाग


वित्तीय वर्ष 2018-19 में राज्य योजनान्तर्गत "मुख्यमंत्री शहरी नाली-गली पक्कीकरण निश्चय योजना" मद अंतर्गत विभिन्न नगर निकायों को स्वीकृत राशि की विवरणी :-

(राशि रुपये में)

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	कुल स्वीकृत राशि	विपत्र कोड, जिससे राशि की निकासी की जानी है।			कुल निकासी की जाने वाली राशि (5+6+7)
				5	6	7	
1	2	3	4	48-221701910115	48-2217017890102	48-2217037960101	8
1	पटना	पटना नगर निगम	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	400,000,000.00
		कुल (क)	400,000,000.00	200,000,000.00	200,000,000.00	0.00	400,000,000.00
				48-2217031930103	48-2217037890102	48-2217037960101	
2	भागलपुर	भागलपुर नगर निगम	110,741,095.00	44,296,438.00	63,676,130.00	2,768,527.00	110,741,095.00
3	मुजफ्फरपुर	मुजफ्फरपुर नगर निगम	98,097,970.00	39,239,188.00	56,406,333.00	2,452,449.00	98,097,970.00
4	दरभंगा	दरभंगा नगर निगम	81,929,304.00	32,771,721.00	47,109,350.00	2,048,233.00	81,929,304.00
5	कटिहार	कटिहार नगर निगम	66,652,333.00	26,660,933.00	38,325,092.00	1,666,308.00	66,652,333.00
6	बेगूसराय	बेगूसराय नगर निगम	69,743,649.00	27,897,459.00	40,102,599.00	1,743,591.00	69,743,649.00
7	मुंगेर	मुंगेर नगर निगम, मुंगेर	59,031,974.00	23,612,789.00	33,943,386.00	1,475,799.00	59,031,974.00
8	पुर्णिया	पुर्णिया नगर निगम	78,112,622.00	31,245,048.00	44,914,758.00	1,952,816.00	78,112,622.00
9	पटना	नगर परिषद, बाढ़	17,011,930.00	6,804,772.00	9,781,860.00	425,298.00	17,011,930.00
10		नगर परिषद, फतुहा	14,103,547.00	5,641,418.00	8,109,540.00	352,589.00	14,103,547.00
11		नगर परिषद, खगौल	12,277,815.00	4,911,126.00	7,059,744.00	306,945.00	12,277,815.00
12		नगर परिषद, दानापुर	50,487,542.00	20,195,016.00	29,030,337.00	1,262,189.00	50,487,542.00
13		नगर परिषद, मोकामा	16,792,742.00	6,717,096.00	9,655,827.00	419,819.00	16,792,742.00
14		नगर परिषद, मसौड़ी	16,550,585.00	6,620,234.00	9,516,587.00	413,764.00	16,550,585.00
15	नगर परिषद, बख्तियारपुर	13,255,579.00	5,302,231.00	7,621,958.00	331,390.00	13,255,579.00	
16	बक्सर	नगर परिषद, डुमरांव	14,838,876.00	5,935,550.00	8,532,354.00	370,972.00	14,838,876.00
17	रोहतास	नगर परिषद, सासाराम	40,795,419.00	16,318,167.00	23,457,366.00	1,019,886.00	40,795,419.00
18		नगर परिषद, डेहरीडालमिया	37,978,917.00	15,191,566.00	21,837,878.00	949,473.00	37,978,917.00
19		नगर परिषद, विक्रमगंज	13,412,774.00	5,365,109.00	7,712,346.00	335,319.00	13,412,774.00
20	औरंगाबाद	नगर परिषद, दाउदनगर	14,491,829.00	5,796,731.00	8,332,802.00	362,296.00	14,491,829.00
21	जहानाबाद	नगर परिषद, जहानाबाद	28,561,332.00	11,424,532.00	16,422,766.00	714,034.00	28,561,332.00
22	नवादा	नगर परिषद, नवादा	27,129,696.00	10,851,878.00	15,599,576.00	678,242.00	27,129,696.00
23	सीतामढ़ी	नगर परिषद, सीतामढ़ी	18,768,749.00	7,507,499.00	10,792,031.00	469,219.00	18,768,749.00
24	बांका	नगर परिषद, बांका	12,724,215.00	5,089,686.00	7,316,424.00	318,105.00	12,724,215.00
25	वैशाली	नगर परिषद, हाजीपुर	40,872,910.00	16,349,164.00	23,501,924.00	1,021,822.00	40,872,910.00
26		नगर परिषद, महनार	13,365,173.00	5,346,069.00	7,684,975.00	334,129.00	13,365,173.00
27	पो चम्पारण	नगर परिषद, बेतिया	36,589,071.00	14,635,628.00	21,038,716.00	914,727.00	36,589,071.00
28		नगर परिषद, नरकटियागंज	13,701,149.00	5,480,459.00	7,878,161.00	342,529.00	13,701,149.00
29	समस्तीपुर	नगर परिषद, समस्तीपुर	18,798,362.00	7,519,344.00	10,809,059.00	469,959.00	18,798,362.00
30	भागलपुर	नगर परिषद, सुल्तानगंज	14,637,954.00	5,855,181.00	8,416,824.00	365,949.00	14,637,954.00
31	जमुई	नगर परिषद, जमुई	24,176,202.00	9,670,480.00	13,901,317.00	604,405.00	24,176,202.00
32	गोपालगंज	नगर परिषद, गोपालगंज	18,636,185.00	7,454,474.00	10,715,807.00	465,904.00	18,636,185.00
33	पटना	नगर पंचायत, मनेर	11,088,889.00	4,435,555.00	6,376,112.00	277,222.00	11,088,889.00
34		नगर पंचायत, नौबतपुर	6,921,838.00	2,768,735.00	3,980,057.00	173,046.00	6,921,838.00
35	कैमूर	नगर पंचायत, मोहनिया	4,480,612.00	1,792,244.00	2,576,352.00	112,016.00	4,480,612.00
36	भोजपुर	नगर पंचायत, पीरो	9,350,058.00	3,740,023.00	5,376,284.00	233,751.00	9,350,058.00
37		नगर पंचायत, कोईलवर	4,905,425.00	1,962,170.00	2,820,620.00	122,635.00	4,905,425.00
38	रोहतास	नगर पंचायत, कोआथ	5,227,841.00	2,091,136.00	3,006,009.00	130,696.00	5,227,841.00
39		नगर पंचायत, नोखा	7,555,877.00	3,022,350.00	4,344,630.00	188,897.00	7,555,877.00
40		नगर पंचायत, कोचस	4,548,416.00	1,819,366.00	2,615,340.00	113,710.00	4,548,416.00
41	गया	नगर पंचायत, शेरघाटी	11,254,386.00	4,501,754.00	6,471,272.00	281,360.00	11,254,386.00
42		नगर पंचायत, टेकारी	5,901,455.00	2,360,582.00	3,393,337.00	147,536.00	5,901,455.00
43	औरंगाबाद	नगर पंचायत, नवीनगर	6,637,614.00	2,655,045.00	3,816,629.00	165,940.00	6,637,614.00
44	सीतामढ़ी	नगर पंचायत, बेलसंड	5,691,678.00	2,276,671.00	3,272,715.00	142,292.00	5,691,678.00
45	मुजफ्फरपुर	नगर पंचायत, मोतीपुर	7,907,352.00	3,162,940.00	4,546,728.00	197,684.00	7,907,352.00
46	वैशाली	नगर पंचायत, लालगंज	10,266,937.00	4,106,774.00	5,903,489.00	256,674.00	10,266,937.00
47		नगर पंचायत, महुआ	2,987,537.00	1,195,014.00	1,717,834.00	74,689.00	2,987,537.00
48	शिवहर	नगर पंचायत, शिवहर	7,781,154.00	3,112,461.00	4,474,164.00	194,529.00	7,781,154.00

44

क्र० सं०	जिला	नगर निगम का नाम	कुल स्वीकृत राशि	विपत्र कोड, जिससे राशि की निकासी की जानी है।			कुल निकासी की जाने वाली राशि (5+6+7)
				5	6	7	
1	2	3	4	5	6	7	8
49	पू० चम्पारण	नगर पंचायत, अरेशाज	7,199,421.00	2,879,768.00	4,139,668.00	179,985.00	7,199,421.00
50		नगर पंचायत, पकड़ीदयाल	8,186,871.00	3,274,748.00	4,707,451.00	204,672.00	8,186,871.00
51	प० चम्पारण	नगर पंचायत, चनपटिया	7,498,590.00	2,999,436.00	4,311,690.00	187,464.00	7,498,590.00
52	मधुबनी	नगर पंचायत, झंझारपुर	8,465,836.00	3,386,334.00	4,867,856.00	211,646.00	8,465,836.00
53	समस्तीपुर	नगर पंचायत, रोसड़ा	8,622,202.00	3,448,880.00	4,957,767.00	215,555.00	8,622,202.00
54	मुंगेर	नगर पंचायत, हवेली खड़गपुर	8,685,854.00	3,474,341.00	4,994,367.00	217,146.00	8,685,854.00
55	जमुई	नगर पंचायत, झांझा	11,248,852.00	4,499,540.00	6,468,090.00	281,222.00	11,248,852.00
56	खगड़िया	नगर पंचायत, गोगरी जमालपुर	10,448,210.00	4,179,284.00	6,007,721.00	261,205.00	10,448,210.00
57	बेगूसराय	नगर पंचायत, तेघड़ा	15,562,858.00	6,225,143.00	8,948,644.00	389,071.00	15,562,858.00
58	सारण	नगर पंचायत, दिघवासा	9,061,129.00	3,624,451.00	5,210,150.00	226,528.00	9,061,129.00
59		नगर पंचायत, परसा बाजार	10,106,975.00	4,042,790.00	5,811,511.00	252,674.00	10,106,975.00
60	गोपालगंज	नगर पंचायत, कटैया	5,588,449.00	2,235,379.00	3,213,359.00	139,711.00	5,588,449.00
61	पूरुबिया	नगर पंचायत, कसवा	8,419,066.00	3,367,626.00	4,840,963.00	210,477.00	8,419,066.00
62		नगर पंचायत, बनमंखी	8,395,541.00	3,358,216.00	4,827,437.00	209,888.00	8,395,541.00
63	अररिया	नगर पंचायत, जोगवनी	10,871,085.00	4,348,434.00	6,250,874.00	271,777.00	10,871,085.00
		कुल (ख)	1,345,135,508.00	538,054,176.00	773,452,947.00	33,628,385.00	1,345,135,508.00
		कुल योग (क+ख)	1,745,135,508.00	738,054,176.00	973,452,947.00	33,628,385.00	1,745,135,508.00


 (जय प्रकाश मंडल),
 सरकार के विशेष सचिव।